पीठासीन अधिकारी :– मूलचन्द आर.ए.एस

अपील संख्या 2013/00296 (148/2013) 223 आरटीएक्ट

1. साहबराम पुत्र भींयाराम
2. विमला पत्नी औमप्रकाश
3. अमरसिह पुत्र औमप्रकाश

} जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ –अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. भींयाराम पुत्र श्री पेमाराम
2. आसाराम पुत्र श्री भींयाराम
3. सरबती पुत्री भींयाराम
4. विमला पुत्री भींयाराम
5. कलावती पुत्री भींयाराम
6. सुनीता पुत्री औमप्रकाश
7. कमलादेवी पत्नी आसाराम

} जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

8. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा –– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.11.2012 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा प्रकरण संख्या 30/2012 बअनवानी साहबराम आदि बनाम भींयाराम आदि

श्री मोहन मुंजाल, अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 8

निर्णय दिनांक –15.03.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के यहां दावा उद्घोषणा, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति होने का कथन करते हुए घरू बंटवारा के आधार पर दावा की मद संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि अनुसार खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा चाहते हुए दावों में अंकित मद संख्या 4 के अनुसार खाता विभाजन का अनुतोष चाहा एवं भींयाराम के नाम शेष रही भूमि को उसके द्वारा रहन, बय व मुन्तकिल न किये जाने का भी अनुतोष चाहा। जिस पर विचारण न्यायालय ने दावा वादी खारिज किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. रेस्पोडेण्ट्स सं0 1 ता 7 की ओर से कोई उपस्थित नही आया। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 8 के राजकीय अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने भींयाराम के जीवकोपार्जन हेतु छोड़ी गई भूमि का विभाजन में कोई उल्लेख नहीं होने तथा वर्णित हक त्याग व दानपत्र बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं होने के आधार पर दावा खारिज करने का निर्णय पारित किया है। जबकि भींयाराम के जीवकोपार्जन हेतु छोड़ी गई भूमि का विभाजन में स्पष्ट उल्लेख है। इसी तरह आशाराम की पत्नी के पक्ष में दानपत्र का नामान्तरण राजस्व अभिलेख में हो चुका है जिसकी जमाबन्दी पत्रावली में प्रस्तुत की हुई है इसी तरह वर्णित हक त्योग के संबंध में संबंधित तककर्ता द्वारा इकबालदावा प्रस्तुत कर हक त्याग को स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजात से प्रश्नगत कृषि भूमि का पैतृक सम्पति होना बखूबी साबित है तथा पैतृक सम्पति में श्री भींयाराम के पुत्रों का जन्म से हक होना साबित है। उक्त आधारों पर प्रभावित किये बिना निवेदन अधीनस्थ न्यायायल द्वारा भींयाराम के पुत्रगण की हैसियत से आैद हुई हक व हिस्सा की भूमि बाबत खातदारी अधिकारों की घोषणा व मुताबिक घोषणा तकसीम का अनुतोष वादीगण के पक्ष में पारित किया जाना वाजिब है। डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

5. धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र एवं इनमें अंकित तथ्यों व पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है जो स्वीकार किया जात है एवं अपील भीतर मियाद शुमार की जाती है।

6. अपीलाण्ट न अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पैतृक भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में मुख्य आधार यह लिया है कि पुत्रियों के द्वारा एवं आसाराम की पत्नी के पक्ष में हक त्याग/दानपत्र प्रस्तुत नहीं किया है, परन्तु विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी में इंतकाल नं. 212 दिनांक 20.06.2012 दानपात्र संबंधी नोट अंकित है एवं दावा में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा इकबालदावा प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा भी इकबालदावा प्रस्तुत किया गया है। राज्यपक्ष की ओर से भी जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। परन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज0)

के कथनों से इन्कारी किया जाना नही पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इकबाले जवाबदावा के आधार पर निर्णय नही कर इस आधार पर दावा पारित किया है कि हकत्याग, दानपत्र नहीं प्रस्तुत किये। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजात के साथ दानपत्र के आधार पर नामांतरणकरण भरा जाना संबंधी दस्तावेज पत्रावली में संलग्न है। अतः दानपत्र के आधार पर नामान्तरण भरा जाकर जमाबंदी में इन्द्राज हो चुका था इसके लिए दस्तावेज मांगे जाने का कोई औचित्य नही है। साथ में हक त्याग जो प्रस्तुत नहीं किये उसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजकोष को आर्थिक नुकसान होना अंकित करते हुए दावा खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा डिक्री करने के लिए वादी अपीलाण्ट को हक त्याग करना अन्य अन्य दस्तावेजात के साथ हक त्याग भी प्रस्तुत करना अपेक्षित था। अतः दावा अपीलाण्ट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हक त्याग संबंधी दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। उक्त स्थिति में अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत प्रतीत नही होने के कारण काबिल अपास्त है एवं प्रकरण उक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2012 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रषित किया जाता है कि दावा एवं जवाब दावा के आधार पर पक्षकारान को पुनः साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 3.05.2019 को पेश हों। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

15/3/19

(मूलचन्द आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ